

प्रारूप-30

FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector New Tehri

No--- 1050/xxvi-105 (2015-16)

Dated---- 02/01/16

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted **in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district** falls within jurisdiction of **Gram Sabha Badeer in Narendra Nagar Tehsil**.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to annexure 30.4
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


 (ज्योति नारेन्द्र क्षेरवाल)
 (Mrs. Jyoti Narendra Kherwal)
 District Collector
 Tehri Garhwal

१२

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Tehri Garhwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mrs Jyoti Neeraj Kherwal** I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated ०५.०१.२०१६ at Tehri in which application claiming rights in Forest area measuring **1.33 hect** for the construction of **Kaudiyala to Gangalsi Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place :Tehri....

Dated :....०५.०१.२०१६

(ज्योति नीरज खेरवाल)
जिलाधिकारी

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

It Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Kaudiyala to Gangalsi Motor Road (Length 2.00 Km) regarding FRA is as following:

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D.Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kaudiyala to Gangalsi** village in Narendra Nagar Tehsil.

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto ...annexure.....	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dweilers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
सुमन पुण्डर
सदस्य निता पंचायत
47 बड़ी पट्टी बींगी
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रामाणीय कर्तव्यकारी
नरेन्द्रनगर नव प्रपाग
मनि मुणिकारती

(ज्योति नीरज खेरवाल)
समाजाधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.2

14

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति - तहसील नरेन्द्रनगर

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के (लम्बाई 2.00 किमी) निर्माण हेतु (1.050 हेतु 0.280 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि तथा 0.070 हेतु नाप भूमि अर्थात् कुल 1.33 हेतु वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 02/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री <u>लक्ष्मा राज चौधरी</u>	उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष
2- श्री <u>डॉ. प्रीता बतोनी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य
3- श्री <u>छोरा मिश्र</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य/सचिव
4- श्री <u>प्रियंका देवी</u>	बी0डी0सी0 क्षेत्र - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.33 हेतु वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनिकीरेती परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला - गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.33 हेतु वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नरेन्द्रनगर
जनपद - टिहरी गढ़वाल

प्रारूप

आज दिनांक 02/11/15 को राज्य योजना के अन्तर्गत कौड़ियाला – गंगलसी मोटर मार्ग निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मी भज चैदानंद	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	
2	श्री डी.पी. बलोमी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	
3	श्री डॉ रमेश कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	
4	श्री शारदा देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत प्रमुख नरेन्द्रनगर	

प्रारूप—30.3

परियोजना का विवरण:— जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम — बड़ीर
तहसील—नरेन्द्रनगर, जिला—टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.050 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.280 हेतु सिविल सोयम भूमि, एवं 0.070 हेतु नापभूमि) अर्थात् कुल 1.33 हेतु वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़ीर द्वारा दिनांक 25-7-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा तिमली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को कौड़ियाला — गंगलसी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचायत सदस्य

35मा०
सुमन पुण्डीर
सदस्य जिला पंचायत
47 बड़ीर पट्टी दोनी
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य



ग्राम प्रधान



प्रारूप-30.4

दिनांक 25-7-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- बड़ीर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	वलवाना / लिंग	बृंदाबनालिंग
2	विराज सिंह	विराज सिंह
3	विना देवी	विनीता देवी
4	मुरै-दुर्वा	मुरै-दुर्वा
5	नारायण / लिंग	नारायण सिंह
6	आंतर लिंग	आंतर लिंग
7	विजय लिंग	B-S-Rama
8	विजाला / लिंग	B-S-Rama
9	शुर्वीरा लिंग	शुर्वीरा लिंग
10	ओमराव सिंह	उमरावा लिंग
11	रमाना लिंग	रमाना लिंग
12	माना लिंग	माना लिंग

13	ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ	Khuldeep Singh
14	ਕੁਣਾਲ ਸਿੰਘ	Kunal Singh
15	ਗਿਰਵੀਰ ਸਿੰਘ	Girveer Singh
16	ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ	Kitab Singh
17	ਕਿਲਚਰਲਾਈ ਸਿੰਘ	Kilacharla Singh
18	ਕਾਨ ਸਿੰਘ	Kan Singh
19	ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ	كيف سينج
20	ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ	Hukam Singh
21	ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ	Hukam Singh
22	ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ	Mohen Singh
23	ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ	Vikas Singh
24	ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ	Videsh Singh
25	ਦੁਸਾਨ ਸਿੰਘ	Dusahan Singh
26	ਕੀਤਨ ਸਿੰਘ	Keetan Singh
27	ਕਰਤਾ ਸਿੰਘ	Karta Singh
28	ਮਨੋਦਰ ਸਿੰਘ	Manodar Singh
29	ਤੁਮੇਦ ਸਿੰਘ	Tumed Singh

19

30	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
31	रामेश सिंह	रामेशसिंह
32	प्रमाण सिंह	प्रमाणसिंह
33	सुनाम सिंह	सुनामसिंह
34	जीतार सिंह	जीतारसिंह
35	देवेंद्र सिंह	देवेंद्रसिंह
36	रामलीला सिंह	रामलीला
37	उत्तम सिंह	उत्तमसिंह
38	मातवर सिंह ४० छवाणी सिंह	मातवरसिंह
39	बलवत सिंह ४० छवाणी सिंह	बलवतसिंह
40	वेन सिंह ४० सुदर सिंह	वेनसिंह
41	विरेन्द्र सिंह ४० भदन सिंह	विरेन्द्रसिंह
42	महिपाल सिंह ४० सुदर सिंह	महिपालसिंह
43	रविन्द्र सिंह ४० होमीयार सिंह	रविन्द्रसिंह
44		

जिला पंचायत सदस्य

